



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने वाले 03 अभियुक्त को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 146/2021 धारा-323,504,325 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सुरेन्द्र पुत्र आशाराम 2.शिवाकान्त पुत्र आशाराम 3.सूरज कुमार पुत्र रंजीत निवासीगण ग्राम चन्दौखी थाना कोतवालीनगर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 3,000-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एसपीओ रणविजय सिंह



विवेचक-  
उ0नि0 पंधारी  
सरोज



पैरोकार- थाना  
कोतवाली नगर  
का0 मनोज कुमार